रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

H82 — 11/5/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 1988/भाद्र 17, 1910
No. 483] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 1988/BHADRA 17, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1988

सा.का.नि. 913(अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला मंडल द्वारा बनाए गए और

इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पोर्ट कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) संशोधन विनियम, 1988 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. पी आर/12014/1/88-पी ई-I]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कांडला पोर्ट कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) विनियम 1966

कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) विनियम, 1966 को आगे संशोधित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) ये विनियम, कांडला पोर्ट कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) (संशोधन) विनियम 1988 कहे जायेंगे।

(2) कांडला पोर्ट कर्मचारी (शिक्षा शुक की प्रतिपूर्ति) विनियम 1966 के विनियम 4(क) के उप विनियम (1) में विद्यमान अंक "1200" को अंक "1930" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सचिव,
कांडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1988

G.S.R. 913 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port)mployees' (Reimbursement of Tuition Fees) (Amendment) Regulations, 1988 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulation shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12014|1|88-PE.I]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, 1966.

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, 1966, namely :—

1. These regulations may be called the Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) (Amendment) Regulations, 1988.
2. In sub-regulation (i) of Regulation 4 (a) of the Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Regulation, 1966, the existing figures "1200" shall be substituted by the figure "1930".

SECRETARY

KANDLA PORT TRUST.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988